



Har Ghar Jal  
Jal Jeevan Mission

# जल जीवन मिशन हर घर जल

## ग्राम कार्ययोजना (वी०ए०पी०)

### आर्यावर्त सेवा एवं विकास संस्थान, लखनऊ



Har Ghar Jal  
Jal Jeevan Mission

जल सब्धी सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की जीवन सुगमता को बेहतर बनाने में मदद करती है। ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी०डब्ल्यू०एस०सी०/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जाती है और डी०डब्ल्यू०एस०एम० को प्रस्तुत किये जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदितका जाती है। आई०एस०ए० द्वारा मार्गदर्शन/सहायता प्रदान किया जाना है।

1. तैयारी की तारीख 8/09/21 उपस्थित ग्रामवासियों की संख्या - 45  
ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख 19/10/21  
डी०डब्ल्यू०एस०एम० को प्रस्तुत किये जाने की तारीख .....
2. ग्राम का नाम बड़हरा  
ग्राम पंचायत का नाम बड़हरा  
विकास खण्ड का नाम नौतानवां  
जनपद का नाम महाराजगंज  
राज्य का नाम उत्तर प्रदेश  
ग्राम जनगणना कोड 2011/183638  
यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम

- 1- ग्राम पंचायत सकल्प
- 3- ग्राम समुदाय की आकांक्षा 17 संख्या, मवेशी कुड़ों को और 50 संख्या, कपडा धोने/ स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन निश्चित आधार पर अर्थात् 10 घण्टे निर्धारित गुणवत्ता वाले एल०पी०सी०डी० जल की आपूर्ति वर्ष 2021 तक 2024 ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिये एफ०एच०टी०सी० प्रदान करना।  
हम ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसरवचना के अपनत्व, प्रबन्धन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकाशों का सम्मान करेंगे उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदे जल की व्यवस्था करेंगे और मीठे/साफ जल को बचावेंगे। यह सकल्प लिया जाता है कि पूजा/लागत का 10% प्रतिशत और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा। पानी की गुणवत्ताका प्रमाण पत्र पी०एच०ई०डी०/आर०डब्ल्यू०एस० विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

- II- ग्राम पंचायत और /या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी०डब्ल्यू०एस०सी०/पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

- 4- कौन सी समिति ग्राम पंचायत में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबन्धन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

ग्राम पंचायत और/ या उप-समिति बड़हरा

समिति को क्या कहा जाता है ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति

समिति के अध्यक्ष का नाम संगीता

लिंग महिला

आयु 41

क्र०सं०	सदस्य का नाम	लिंग	आयु	जाति	अन्य विवरण
1	संगीता	महिला	41	OBC	अध्यक्ष
2	मोहन	पुरुष	46	OBC	सदस्य
3	पूजा	महिला	22	SC	सदस्य
4	राजेश	पुरुष	50	OBC	सदस्य
5	माधव	पुरुष	45	SC	सदस्य

6	राजवेल	पुरुष	52	SC	साक्षर
7	सुब्बा पाख्यान	पुरुष	50	SC	साक्षर
8	मैदाम पाख्यान	पुरुष	58	SC	साक्षर
9	बाणु पाख्यान	पुरुष	55	SC	साक्षर
10	अनंत शर्मा	पुरुष	51	SC	साक्षर
11	अरि पाख्यान	पुरुष	50	SC	साक्षर
12	कपूर कुंजी	पुरुष	50	SC	साक्षर
13	पानी कुंजी	पुरुष	50	SC	साक्षर
14	रविश्या	पुरुष	55	OBC	साक्षर
15	विश्या	पुरुष	62	OBC	साक्षर
16	बोधेश मधुश्या	पुरुष	62	OBC	साक्षर

III- सामान्य विवरण

2011 की जनगणना के अनुसार	वर्तमान पनायत/आमनचाही रिकार्ड के अनुसार
जनसंख्या 2995	जनसंख्या 4000
परिवारों की संख्या 407	परिवारों की संख्या 510
महिलाओं की संख्या 1258	महिलाओं की संख्या 1360
पुरुषों की संख्या 1356	पुरुषों की संख्या 1550
बच्चों की संख्या 381	बच्चों की संख्या 1090
एफएनओटीओसी की संख्या	एफएनओटीओसी की संख्या

7- जनसंख्या अनुमान  
 सक्षमता चरण - वर्तमान से 15 वर्ष वर्तमान जनसंख्या से 18 प्रतिशत वृद्धि  
 किलोमीटर/दिन कोएलाओसी अंतिम चरण वर्तमान से 30 वर्ष वर्तमान जनसंख्या में 32 प्रतिशत वृद्धि  
 किलोमीटर/दिन कोएलाओसी

8- वर्तमान मतेशी संख्या प्रशासन रिकार्ड 500

9- कृषि फसल पैटर्न स्वरीफ रूकी-

प्रमुख फसलें	स्वरीफ	रूकी
धान	✓	✓
मक्का	✓	
कपास		
गेहूँ		✓
अन्य		

10- औसत जल वर्षा मिमी में 1311MM

11- स्थलाकृति समतल, ढलान, आदि समतल

12- स्थिति विश्लेषण नही

13- क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? हा / नही नही

13- क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? हा / नही नही

14-

क्र. सं.	सामाजिक संस्था का नाम	क्या एफएनओटीओसी उपलब्ध है? हा/नही	क्या वर्षा जल संचयन संरचना उपलब्ध है? हा/नही	रोखा गड्ढों की उपलब्धता? हा/नही

1	स्कूल	नहीं	नहीं	नहीं
2	आगनवाडी	"	"	"
3	स्वास्थ्य केन्द्र	"	"	"
4	ग्राम पंचायत भवन	"	"	"
5	अन्य	"	"	"

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता:

15- पानी की वर्तमान आवश्यकता 200,000 जनसंख्या दर 50 के०एल०डी० प्रति व्यक्ति

मवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता..... के०एल०डी०

मवेशी कुडों की आवश्यक संख्या.....

मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या दर 50 के० एल० डी० प्रति व्यक्ति

अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या दर 50 के०एल०डी० प्रति व्यक्ति

पानी आपूर्ति का इतिवृत्त

16- गांव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चकवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति

17- आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टकियों, रेल गाड़ियों, आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति। नहीं

18- पानी की आपूर्ति से सबन्धित आर्थिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त हाँ

19- जल जनित रोगों का इतिवृत्त हाँ

पानी की गुणवत्ता

20- फील्ड परीक्षण किट/वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें.....

21- सैनिटी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख

22- जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/प्रस्तावित पेयजल स्रोतों के पानी की गुणवत्ता स्रोत का नाम अवस्थिति.....

स्रोत	मापदण्ड	तरीका	परिणाम
	गदगी	दृश्य तुलना	
	पीएच	पट्टी रंग तुलना	
	पूर्ण लवणता	टिटीमेटिक विधि	
	पूर्ण क्षारीयता	टिटीमेटिक विधि	
	क्लोराइड	टिटीमेटिक विधि	
	अमोनिया	दृश्य रंग तुलना	
	फास्फेट	दृश्य रंग तुलना	
	अवशिष्ट क्लोरीन	दृश्य रंग तुलना	
	आयरन	दृश्य रंग तुलना	
	नाइट्रेट	दृश्य रंग तुलना	
	फ्लोराइड	दृश्य रंग तुलना	
	आर्सेनिक हाट स्पॉट में	दृश्य रंग तुलना	

कपड़े धोने/ स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गांव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने/स्नान करने के लिए या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं

अनस्थिति का नाम	घरों की संख्या	आबादी
	20	95

स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरेवेल रिचार्ज संरचना है? हा/नहीं हाँ
25. गांव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका काया कल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है।

गंदे जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदा जल जल आपूर्ति का 05 प्रतिशत के 0एल0डी0 अलग-अलग सोखता गड्डों वाले परिवारों की संख्या
- उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्डों की आवश्यकता है
- आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्डों की संख्या
- क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? हा / नहीं हाँ
- यदि हा तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है हाँ
- यदि नहीं तो गंदे जल के प्रबंधन के लिए कौन से अन्य उपाय अपनाये जाने चाहिए

III- जल आपूर्ति योजना

- 27- निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ0एच0टी0सी0 प्रदान किए जाएंगे
- \* अंतिम छोर तक पहुंच के लिए पूर्ववर्ती एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0 के तहत शुरू की गयी योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
  - \* पूर्ण हो चुके आर0 डब्ल्यू0एस0 की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे0जे0एम0 के अनुकूल बनाया जा सके
  - \* निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल /स्प्रिंग वाटर/ स्थानीय या घरातलीय जल वाले गांवों में एस0वी0एस0 ✓
  - \* शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस0वी0एस0
  - \* वाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एस0वी0एस0 ✓
  - \* मिनी सौर सर्ज आधारित पी0डब्ल्यू0एस0 जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं।

- 28- अभिनिर्धारित जल स्रोत समुदाय आधारित तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना नियंत्रण एवं भूमि आवंटित इस योजना के लिए

अभिनिर्धारित भूमि को सौंप दी जाएगी

यह तारीख, जिस पर यह भूमि पी०एच०ई०डी०/आर०डब्ल्यू०एस० योजना की लागत **DPR के अनुसार** भारत सरकार का हिस्सा राज्य सरकार का हिस्सा **ग्राम पंचायत/समुदाय का हिस्सा**

**अधिकतम 10%**

व्यक्तिगत/घरेलू अशदान वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क **50-100** व्यक्तिगत/घरेलू गारिफ जल आपूर्ति शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क **50-100** कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित पी०डब्ल्यू०एस०


### III- मेल-जोल

निम्नलिखित तालिका में उन समाहित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।

29-

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	समाहित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
चौदहवा वित्त आयोग ✓	ग्राम पंचायत ✓	ग्रे-वाटर मैनेजमेन्ट, डेरेनेज सिस्टम आदि।	राज्यवित्त ✓
स्वच्छ भारत मिशन एस०बी०एम०-जी० ✓	घजल एव स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ✓	ग्रे-वाटर मैनेजमेन्ट, सोखटा गड्डे व्यक्तिगत/सामुदायिक अपशिष्ट, तलछट तालाब आदि।	ग्रामिण निधि ✓
एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस०	ग्रामीण विकास मंत्रालय ✓	प्रकृतिक ससाधन प्रबंधन एन०आर०एम० घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियाँ	अनुभवण खाता से VWSC ✓
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम आइग०डब्ल्यू०एम०पी०	भूमि ससाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/आर०डब्ल्यू०एच०/कृत्रिम पुर्नगर्ण, जल निकासी का निर्माण/युनिट आदि	
जल भण्डारों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विभाग और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आर०के०वी०वाई०	कृषि सहाकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से सम्बंधित कार्य	
ग्राममन्त्री कृषि सिंचाई योजना पी०एम०के०एस०वाई०	कृषि सहाकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए रूइंग-सिंचाई का प्रावधान, एकत्रीकरण से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूर्क यनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	यनीकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुर्नजनन, वाटरशेड विकास आदि।	
ग्राममन्त्री कौशल विकास योजना पी०एम०के०एस०वाई०	कौशल विकास और उद्योगिता मंत्रालय	आर०डब्ल्यू०एस० योजनाओं के लिए	✓

		आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आदि	✓
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	✓
आकाशी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	थजला डॉक्टर के पास उपलब्ध विदेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियां	
जिला खनिज विकास निधि डी0एम0ए0एफ0	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियां	
एम0पी0एल0ए0डी0	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एम0ओ0एस0पी0आई0	अंत ग्राम अवसंरचना	
एम0एल0ए0एल0ए0डी0	राज्य	अंत ग्राम अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 1 के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना टी0एस0एस0	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंत ग्राम अवसंरचना	
दानदाता/प्रायोजक			✓



अध्यक्ष के हस्ताक्षर

पी0एच0ई0डी0 / आर0डब्ल्यू0एस0 विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर.....

आई0एस0ए0 प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर यदि लागू हो.....

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात वी0डब्ल्यू0एस0सी0/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि का अध्यक्ष.....

ग्राम पंचायत सचिव का नाम और फोन नम्बर.....

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नम्बर.....

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए 5 महिलाओं के नाम और फोन नम्बर.....

1

2

3

4

5

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नम्बर.....